"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/ तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 6 जून 2008—ज्येष्ठ 16, शक 1930

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं हिदायत उल्लाह खान आत्मज श्री ए. क्यू. खान, उम्र 42 वर्ष, निवासी क्वा. नं. 5/ए, स्ट्रीट नं. 7, सेक्टर 1, भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने पुत्री अनिका फातिमा खान, उम्र 7 वर्ष का नाम परिवर्तित कर नया नाम कुदसिया बेगम रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरी पुत्री को कुदसिया बेगम आत्मजा श्री हिदायत उल्लाह खान के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम	नया नाम
अनिका फातिमा खान आत्मजा श्री हिदायत उल्लाह खान निवासी क्वाटर नं. 5/ए, स्ट्रीट नं.7 सेक्टर 1, भिलाई नगर तह.- जिला- दुर्ग (छ. ग.)	कुदसिया बेगम आत्मजा श्री हिदायत उल्लाह खान निवासी क्वाटर नं. 5/ए, स्ट्रीट नं.7 सेक्टर 1, भिलाई नगर तह.-जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नाम परिवर्तन

एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं साहेबदास मनिकपुरी आत्मज श्री चूड़ामणिदास कबीर, उम्र 38 वर्ष, निवासी ए पाकेट, ब्लाक एण्ड क्वाटर नं. 10/सी, मरोदा सेक्टर , भिलाई नगर, तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूं. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर शाहेब मानिकपुरी रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे शाहेब मानिकपुरी आत्मज श्री चुड़ामणिदास कबीर के नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम

साहेबदास मानिकपुरी
आत्मज श्री चुड़ामणिदास कबीर
निवासी-ए पाकेट, ब्लाक एण्ड क्वाटर नं. 10/सी
मरोदा सेक्टर , भिलाई नगर
तह.- जिला- दुर्ग (छ. ग.)

नया नाम

शाहेब मानिकपुरी
आत्मज श्री चुड़ामणिदास कबीर
निवासी-ए पाकेट, ब्लाक एण्ड क्वाटर नं. 10/सी
मरोदा सेक्टर , भिलाई नगर
तह.-जिला- दुर्ग (छ. ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास, कोटा, जिला-बिलासपुर छ. ग.

[छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट 1995 की धारा 5(2) तथा छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट नियम की धारा 5(1) के अन्तर्गत]

राजस्व प्रकरण क्रमांक 01/ब-113/1007-2008.—चूंकि नेमीचंद जैन (मथुरा वाले) व्यवस्थापनकर्ता/सेटलर चैरिटी ट्रस्ट, खापरगंज, मारवाड़ी लाईन बिलासपुर, जिला बिलासपुर ने नीचे लिखे अनुसूची में अंकित संपत्ति को छ. ग. पब्लिक ट्रस्ट की धारा 4 के तहत पंजीयन हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति या उक्त ट्रस्ट एवं उसकी संपत्ति जिसका विवरण नीचे अंकित है के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र प्रकाशन के दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिनों के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं अथवा अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्तयार के माध्यम से आपत्ति दो प्रति में प्रस्तुत कर सकते हैं. निश्चित अवधि के उपरांत आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं संपत्ति का विवरण)

1. पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता : नेमीचंद जैन (मथुरा वाले) चैरिटी ट्रस्ट, बिलासपुर, छ. ग.

2. चल संपत्ति — बैंक आफ महाराष्ट्र की बिलासपुर शाखा में सेविंग बैंक एकाउंट 13742 जिसमें दिनांक 1-6-07 तक 1,25,349/-रुपये जमा है.

3. अचल संपत्ति — ग्राम पेंडारी, प. ह. नं. 25, रा. नि. मं. सकरी, तह. तखतपुर, जिला बिलासपुर

1.	खसरा नंबर	रकबा
	1200	1.50 एकड़
	1211/1	0.98

1211/2	0.96
1211/3	0.95
4	4.39 एकड़

2. ग्राम पेंडारी में छ. ग. शासन द्वारा आवंटित भूमि-

1209/6	12.82 एकड़
1212	0.20

3. उपरोक्त भूमियों पर करीब 30000 वर्गफीट पर निर्मित अस्पताल का भवन तथा करीब 10, 000 वर्गफीट पर 8 निवास हेतु फ्लेट.

4. 1 एंबुलेंस सी. जी. 10 जेड डी 1829

तलिका प्रजापति,
अनुविभागीय अधिकारी (रा.)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, संयुक्त पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर (छ. ग.)

बिलासपुर, दिनांक 23 अप्रैल 2008

क्र./परिसमापन/2008/843.—पंजीयन क्रमांक 109 दिनांक 26-4-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 693 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, विकास महिला बहु. सह. स. मर्या. मोपका को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/931.—पंजीयन क्रमांक 157 दिनांक 26-12-2003 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 513 दिनांक 29-2-2000 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, महामाया पत्थर खदान सह. स., डड़िया को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री आर. के. गुप्ता, स. वि. अ., मरवाही को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अंन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/932.—पंजीयन क्रमांक 3558 दिनांक 1-12-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 586 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, डॉ. अम्बेडकर महिला सह. उद्योग स., जरहाभाठा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/933.—पंजीयन क्रमांक 194 दिनांक 31-1-2005 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 588 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जय माता दी महिला बहु. सह. स., सिलपहरी को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. ए. खान, स. वि. अ., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/934.—पंजीयन क्रमांक 114 दिनांक 7-8-2001 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 511 दिनांक 29-2-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26 07 1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जय बुढा देव मछुवा स. स. मर्या., परसवारा को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एन. के. कश्यप, सह. वि. अ., लोरमी, को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/935.—पंजीयन क्रमांक 142 दिनांक 27-12-2002 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 585 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, सफाई कामगार सह. स., शंकर नगर, बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/936.—पंजीयन क्रमांक 3496 दिनांक 19-1-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 596 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, लोकबंद हरिजन मछुवा सह. स., लोकबंद को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री कोमल सिंह हुपेण्डी, सह. वि. अ., कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/937.—पंजीयन क्रमांक 3151 दिनांक 20-10-1985 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 515 दिनांक 29-2-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, दुग्ध उत्पादक सह. स., राजपुर (ए) को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एन. के. कश्यप, सह. वि. अ., लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/938.—पंजीयन क्रमांक 3733 दिनांक 18-4-96 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 516 दिनांक 29-2-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, दुग्ध उत्पादक सह. स. मर्या., चंदरपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री एन. के. कश्यप, सह. वि. अ., लोरमी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/939.—पंजीयन क्रमांक 3841 दिनांक 1-3-97 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 594 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, दुग्ध उत्पादक सह. समिति मर्या., हिर्री को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री बी. आर. यादव, सह. वि. अ., मस्तुरी को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/940.—पंजीयन क्रमांक 3596 दिनांक 13-2-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 591 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, जय कालिका मछुवा सह. स. मर्या., सेलर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री के. ए. खान, सह. वि. अ., बिल्हा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/941.—पंजीयन क्रमांक 3556 दिनांक 30-11-94 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 595 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, खारंग जलाशय निषाद मछुवा सह. मर्या. तीस को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री कोमल सिंह हुपेण्डी, सह. वि. अ., कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/942.—पंजीयन क्रमांक 169 दिनांक 27-8-2008 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 533 दिनांक 1-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, अरगा खारून रेत परि. श्रमिक सह. स., बिलासपुर को परिसमापन में लाता हूं तथा श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/943.—पंजीयन क्रमांक 3674 दिनांक 26-6-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 597 दिनांक 7-3-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, आदिवासी खारंग जलाशय मछुवा स., मेलनाडीह को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री कोमल सिंह हुपेण्डी, सह. वि. अ., कोटा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 6 मई 2008

क्र./परिसमापन/2008/944.—पंजीयन क्रमांक 3141 दिनांक 30-9-95 को परिसमापन में लाने संबंधी सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 (3) के अन्तर्गत कारण बताओ सूचना पत्र क्रमांक 512 दिनांक 29-2-2008 द्वारा दिया गया था. किन्तु समिति की ओर से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ/उत्तर प्राप्त हुआ वह संतोषप्रद नहीं पाया गया. उत्तर नस्तीबद्ध किया गया.

अत: संस्था के छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 69 (2) के तहत् छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ/5-1-99 पन्द्रह-1 ए/बी/सी दिनांक 26-07-1999 द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का प्रयोग करते हुए मैं, डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, हरिजन मत्स्योद्योग सह. स. मर्या., टिकर कला को परिसमापन में लाता हूं तथा श्री जी. डी. जयसिंह, सह. वि. अ., पेण्ड्रा को उक्त अधिनियम की धारा 70 (2) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त करता हूं.

बिलासपुर, दिनांक 8 मई 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/956.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1905/बिलासपुर दिनांक 29-9-2007 के तहत् आशिर्वाद उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, तात्याटोपे नगर, पंजीयन क्रमांक 3624 दिनांक 24-2-95 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्री एस. एन. चकलादार, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 8-5-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/978.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक /परिसमापन/1908/बिलासपुर दिनांक 29-9-2007 के तहत् सैफी प्राथमिक उपभोक्ता भंडार सेवा सहकारी समिति मर्यादित, खपर गंज, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3820 दिनांक 27-11-96 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर का छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-5-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

बिलासपुर, दिनांक 9 मई 2008

छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 1960 के नियम 18(1)(2) के अन्तर्गत

क्र./परिसमापन/2008/979.—इस कार्यालय का आदेश क्रमांक/परिसमापन/1922/बिलासपुर दिनांक 1-10-07 के तहत् शिव शंकर उपभोक्ता भंडार सहकारी समिति मर्यादित, चांटीडीह, बिलासपुर, पंजीयन क्रमांक 3648 दिनांक 22-3-95 विकास खण्ड बिल्हा, जिला बिलासपुर को छ. ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के तहत् श्रीमति नमिता विश्वास, सहकारी निरीक्षक को उक्त संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा संस्था के सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. संस्था के परिसमापन की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं डी. आर. ठाकुर, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, बिलासपुर, छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99 पन्द्रह-1 /सी दिनांक 26-07-1999 के अन्तर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वैष्ठित हैं का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता अधिनियम 1960 की धारा 18(1)(2) के तहत् संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बांडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 9-5-08 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुहर से जारी किया गया.

डी. आर. ठाकुर,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित -2008.